

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में तीन भाग हैं:

भाग—एक सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है। इसमें छत्तीसगढ़ शासन के नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग के निष्पादन लेखापरीक्षा तथा जल संसाधन विभाग; कृषि विकास, किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग; कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, वन विभाग और लोक निर्माण विभाग के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को शामिल किया गया है।

भाग—दो में छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व क्षेत्र विभाग के अंतर्गत राज्य कर विभाग के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को शामिल किया गया है।

भाग—तीन छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है, जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अंतर्गत राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

इस प्रतिवेदन में उन मामलों का उल्लेख किया गया है जो वर्ष 2021–22 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये, साथ ही साथ गत वर्षों के ऐसे मामले जो ध्यान में तो आये थे परंतु पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे। वर्ष 2021–22 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है, जहाँ आवश्यक रहा हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संचालित की गई है।